रांची में, मंगलवार दिनांक 14 नवम्बर, 2017 को अपराह्न 03:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

1.	दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2017 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।	**स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

2.	गुमला अंतर्गत "भरनो ब्लॉक चोक (NH-23 पर) मारा सिल्ली–सरगाँव जिरहुल–परवल (MDR–030 पर) पथ (कुल लम्बाई–12.975 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू–अर्जन एवं पुलों के निर्माण सहित) हेतु रु0 29,92,16,200/– (उनत्तीस करोड़ बानबे लाख सोलह हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	**स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

3.	पाकुड़ जिलान्तर्गत "बहिरग्राम (पाकुड–मालपहाड़ी पथ पर) पत्थरगट्टा (पश्चिम बंगाल सीमा) पथ (कुल लम्बाई–9.00 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू–अर्जन सहित) हेतु रु0 37,41,85,300/– (सैंतीस करोड़ एकतालीस लाख पचासी हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	**स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

4.	गुमला जिलान्तर्गत बकसपुर मोड़ (बाकुटोली–कुरकुरा–बानो	**स्वीकृत।**

पथ पर)– सरिता बाजार–टोकन (मरचा–रनिया–सौदे पथ पर) पथ (कुल लम्बाई–17.700 कि0मी0) को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रक्षेत्र) स पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (भू–अर्जन सहित) हेतु रु0 93,82,23,300/– (तीरानबे करोड़ बेरासी लाख तेईस हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

5. वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (NPR) अन्तर्गत विमुक्त राशि रु0 4,00,00,000/– (चार करोड़) मात्र का उपबंध झारखण्ड आकस्मिता निधि (JCF) से किये जाने के संबंध में। **स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

6. कोडरमा जिलांतर्गत अंचल–जयनगर एवं कोडरमा के मौजा–बेहराडीह एवं बेलाटांड़ के विभिन्न, थाना सं0, खाता सं0 एवं प्लॉट सं0 में अंतर्निहित कुल रकबा–0.1560 एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–I) विभागीय परिवत्र संख्या–4306/रा०, दिनांक–24.10.2014 की कंडिका–2 (i) के अनुसार निर्धारित दर के आधार पर संगणित सलामी राशि रु0 26,94,644/– (छब्बीस लाख चौरानवे हजार छः सौ चौवाली) मात्र, सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक व्यावसायिक लगान का 25 गुणा पूँजीकृत मूल्य की राशि रु0 33,68,305/– (तैतीस लाख अड़सठ हजार तीन सौ पांच) मात्र, लगान का 145% सेस का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि रु0 48,84,043/– (अड़तालीस लाख चौरासी हजार तेंतालीस) मात्र अर्थात कुल देय राशि रु0 1,09,46,992/– (एक करोड़ नौ लाख छियालीस हजार नौ सै बानवे) मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक–II) रेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अदायगी पर DFCCIL विशेष रेल परियोजना हेतु विशेष रेल परियोजना DFCCIL, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

7. मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत "मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना" के **स्वीकृत।**

प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

8. केन्द्र प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा योजना के पूरक पोषाहार कायक्रम अन्तर्गत राज्य की 224 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के 38432 ऑगनवाड़ी केन्द्रों एवं लघु आँगनवाड़ी केन्द्रों में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को पूरक पोषाहार में THR के रूप में Micronutrient Fortified Food or Energy Dense Food [Ready to Eat(RTE)] की आपूर्ति पूर्व की भाँति योग्य एवं अनुभवी उत्पादनकर्त्ता से कराने की स्वीकृति। — **स्वीकृत।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

9. वर्ष 2018 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के संबंध में। — **स्वीकृत।**

परिवहन (नागर विमानन) विभाग

10. देवघर हवाई अड्डा के विस्तारीकरण हेतु दिनांक 25.03.2017 को हस्ताक्षरित एम०ओ०यू० के अंतर्गत निहित कार्यशर्त्तों के परिपालन के क्रम में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा राज्य सरकार के मध्य Joint Venture Agreement के प्रस्ताव हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। — **स्वीकृत।**

ह0/–
(राजबाला वर्मा)
मुख्य सचिव,
झारखण्ड